मुकदमा नम्बर 92/2023

ऑनलाईन नम्बर 2023/168

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांकः 19.11.2024

रामप्रताप पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. चौखाराम पुत्र गंगाराम 2. मुन्नीराम चौखाराम जाति जाट निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1.श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी ।
2. श्री मोहनलाल सोनी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 475/390 व 472/391 कुल तादादी 4.6800 हैक्टेयर वाकेरोही खिंयाणीबास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 475/390 के पूर्वी तरफ सीवां जोड़ खेत खसरा नम्बर 250 तादादी 14.3800 हैक्टेयर मय गै. मु. रास्ता 0.1300 हैक्टेयर) वाकेरोही खिंयाणीबास की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 चौखाराम के नाम से है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 250 तादादी 14.3800 हैक्टेयर (गै.मु. रास्ता 0.1300 हैक्टेयर) वाकेरोही खिंयाणीबास में रीड़ी से श्रीडूंगरगढ़ कट्टाणी रास्ता स्थित है। उक्त कटाणी मार्ग से फंटकर एक प्रचलित रास्ता पश्चिमी दिशा में इसी खसरा में से उतरी सींव सींव चलता हुआ आगे प्रार्थी के खेत खसर नम्बर 475/390 व 472/391 में प्रवेश करता है । इस कटाणी रास्ते में से प्रार्थी के खेत में जाने का रास्ता सदामद से ही रहा है जिसका नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। कटाणी रास्ता प्रार्थी के खेत से लगभग 200 मीटर दूर है तथा इस कटाणी रास्ता से फंटकर प्रार्थी के खेत में जो रास्ता जाता है उसकी चौड़ाई 5 मीटर व लम्बाई 200 मीटर है। यह रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है । यही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई सुगम व सुलभ रास्ता नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 475/390 व 472/391 के पुराने खसरा नम्बर 153 रहे है जिसकी पूर्व में खातेदारी शेराराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी रीड़ी के नाम से रही है तथा अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 250 के पुराने खसरा नम्बर 154 रहे है । अप्रार्थी संख्या 1 ने सन् 2002 में अपने खेत में से गुजर रहे कटाणी मार्ग से फंटकर पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 154 में जाने वाले रास्ता को बंद

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:10 IST
Reason: SelfAttested

करने का प्रयास किया तो उस समय के खातेदार शेराराम ने एक सिविल दावा अनवानी शेराराम बनाम चोखाराम आदि न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश (क.ख) प्रथम वर्ग श्रीडूंगरगढ़ में नं. मु. दीवानी 22/2002 पेश किया जिसमें अप्रार्थी द्वारा राजीनामा कर लिया शेराराम के खेत में आने जाने के रास्ता को भविष्य में अवरूद्ध नहीं करने का आश्वासन दिया व लिखित राजीनामा दिनांक 16.12.2002 को सम्पादित किया गया, जिसके अनुसार उक्त सिविल वाद संख्या 22/2002 का निर्णय राजीनामा के अनुसार दिनांक 21.12.2002 को हुआ । कालान्तर में प्रार्थी के पिता लालूराम ने खसरा नम्बर 154 के खातेदार शेराराम से 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि क्रय कर ली जिसके नये खसरा नम्बर 475/390 व 472/391 कुल तादादी 4.6800 हैक्टेयर कायम हुए है जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रार्थी के नाम चल रही है व उक्त दोनों खसरे मौका पर एकल है। पिछले करीब 2 माह से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के खेत में आने जाने वाले उक्त रास्ता को बंद करना चाहते है व प्रार्थी को आने जाने से रोकते है। अप्रार्थी सं. 1 ने वर्णित रास्ते को अवरूद्ध कर दिया जिस पर प्रार्थी ने . 05.2023 को अप्रार्थी संख्या 3 के यहां रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा हल्का पटवारी को फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। पटवारी हल्का ने अप्रार्थी संख्या 3 के आदेश की पालना में दिनांक 17.05.2023 को मौका पर जाकर फर्द मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अप्रार्थी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत किया है । उक्त फर्द मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने खेत खसरा नम्बर 250 में चल रहे कटाणी मार्ग से फंटकर पश्चिमी दिशा में उतरी सींव सींव दर्शित रास्ते को बंद कर देना चाहते है जिससे प्रार्थी को बड़ी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। फर्द नक्शा मौका/कार्यवाही रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के आवागमन के सदामद से चले आ रहे रास्ता को बंद करना चाहते है तथा प्रार्थी को जान से मारने की धमकियां दे रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 250 में से कटाणी रास्ता से फंटकर पश्चिमी तरफ सींव सींव चलते हुए प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 475/390 वाकेरोही खियाणी बास में प्रवेश करने वाले रास्ता जो रास्ता लगभग 200 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा कुल 1000 वर्गमीटर (0.1000 हैक्टेयर) है जिसका नजरी नक्शा संलग्न किया जा रहा है जिसमें A से B लालरंग से कट्टाणी रास्ता व मार्ग C से D अप्रार्थी संख्या 1 के खेत से गुजरता हुआ प्रार्थी के खेत तक रास्ता पीले रंग से दर्शाया गया है जो रास्ता प्रार्थी के खेत में प्रवेश करता है। यही रास्ता प्रार्थी के खेत में जाता है जो अत्यंन्त आवश्यक व प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है । वर्णित रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का अन्य रास्ता नहीं है । वर्णित रास्ते से ही प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करता है । अप्रार्थी सं. 1 ने पूर्व में सिविल न्यायालय में चले दावा अनुवानी शेराराम बनाम चौखाराम आदि में उक्त रास्ता [illegible] प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करने का आश्वासन देकर राजीनाम किया [illegible] रास्ता है जो प्रचलित रास्ता के रूप में चल रहा है। वर्णित रास्ता अत्यधिक आवश्यकता का है और यह प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:10 IST
Reason: SelfAttested

पंकज अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खेत के लिए केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है बल्कि प्रार्थी खेत में पहुंचने के लिए वर्णित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के विवादित रास्ता की भूमि रोही खिंयाणीबास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वर्णित रास्ता आवश्यकता का है इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थनापत्र अन्दर मिंयाद व पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 475/390 वाकेरोही खिंयाणीबास तहसील श्रीडूंगरगढ़ का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 250 तादादी 14.3800 हैक्टेयर (गै.मु. रास्ता 0.1300 हैक्टेयर) रोही खियाणीबास में से कटाणी मार्ग रीड़ी से श्रीडूंगरगढ़ से फंटकर पश्चिमी दिशा में इसी खसरा में से उतरी सींव सींव चलता हुआ प्रचलित रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 475/390 प्रवेश करता है जो रास्ता लगभग 200 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा कुल 1000 वर्गमीटर (0.1000 हैक्टेयर) है जिसका नजरी नक्शा संलग्न किया जा रहा है जिसमें मार्क A से B लाल स्याही से कट्टाणी रास्ता व मार्क C से D पीले रंग से प्रचलित रास्ता जो प्रार्थी के खेत तक दर्शाया गया है को गैरमुमकिन रास्ता (कट्टाणी) राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 3 को दिया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होने का कथन किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 को बार बार आवाजें लगवाई गई। परन्तु इनकी ओर से असालनत व वकालतन कोई हाजिर नहीं आने के कारण जवाब का अवसर बन्द किया जाकर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की और से मौका रिपोर्ट पेश की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि ख.सं. 475/ 390 तादादी 0.50 हैक्ट. खातेदार रामप्रताप पुत्र लालूराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थी अपने खेत ख.नं. 475/390 में 250 की उतरी सीमा के पास–पास मौजूद रास्ते से आवागमन करता है। प्रार्थी के खेत से नजदीकतम कटाणी रास्ता ख.नं. 564/377 में से होकर गुजरता है लेकिन प्रार्थी का वर्तमान में आवागमन ख.नं. 250 में से ही है। प्रार्थी से अपने घर से खेत आने में ख.नं. 250 में से होकर गुजरने वाले कटाणी रास्ते से आवागमन में सुविधा रहती है क्योंकि प्रार्थी वर्तमान में आवागमन उक्त रास्ते से ही करता है। प्रार्थी के आवागमन का वैकल्पिक रास्ता उपर वर्णित ख.नं. 250 की उतरी सीमा के पास–पास आवागमन में वर्तमान में प्रयोग में लिया है। लेकिन उक्त रास्ता वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार कटाणी रास्ता नहीं है। प्रार्थी के रास्ते की आवश्यकता एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:10 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को खेत ख.नं. 475/390 में जाने के लिए सुविधाजनक रास्ता ख.नं. 250 में से गुजरने वाले कटाणी रास्ता से (रीड़ी से श्रीडूंगरगढ़) उक्त ख.नं. 250 की उतरी सीमा के पास–पास रास्ता होगा । ख.नं. 250 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार चौखाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी रीड़ी के नाम दर्ज है। रास्ते की लम्बाई 364 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर है ।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 475/390 व 472/391 के पुराने खसरा नम्बर 153 रहे है जिसकी पूर्व में खातेदारी शेराराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी रीड़ी के नाम से रही है तथा अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 250 के पुराने खसरा नम्बर 154 रहे है । अप्रार्थी संख्या 1 ने सन् 2002 में अपने खेत में से गुजर रहे कटाणी मार्ग से फंटकर पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 154 में जाने वाले रास्ता को बंद करने का प्रयास किया तो उस समय के खातेदार शेराराम ने एक सिविल दावा अनवानी शेराराम बनाम चोखाराम आदि न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश (क.ख) प्रथम वर्ग श्रीडूंगरगढ़ में नं. मु. दीवानी 22/2002 पेश किया जिसमें अप्रार्थी द्वारा राजीनामा कर लिया शेराराम के खेत में आने जाने के रास्ता को भविष्य में अवरूद्ध नहीं करने का आश्वासन दिया व लिखित राजीनामा दिनांक 16.12.2002 को सम्पादित किया गया, जिसके अनुसार उक्त सिविल वाद संख्या 22/2002 का निर्णय राजीनामा के अनुसार दिनांक 21.12.2002 को हुआ । कालान्तर में प्रार्थी के पिता लालूराम ने खसरा नम्बर 154 के खातेदार शेराराम से 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि क्रय कर ली जिसके नये खसरा नम्बर 475/390 व 472/391 कुल तादादी 4.6800 हैक्टेयर कायम हुए है जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रार्थी के नाम चल रही है व उक्त दोनों खसरे मौका पर एकल है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी के आवागमन का वैकल्पिक रास्ता ख.नं. 250 की उतरी सीमा के पास–पास आवागमन में वर्तमान में लिया जा रहा ही है। लेकिन उक्त रास्ता वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार कटाणी रास्ता नहीं है। प्रार्थी के रास्ते की आवश्यकता एक अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को खेत ख.नं. 475/390 में जाने के लिए सुविधाजनक रास्ता ख.नं. 250 में से गुजरने वाले कटाणी रास्ता से (रीडी से श्रीडूंगरगढ़) उक्त ख.नं. 250 की उतरी सीमा के पास–पास रास्ता है स्वीकार किया गया है। उक्त रास्ते के संबंध में माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख) प्रथम वर्ग श्रीडूंगरगढ़ में नं. मु. दीवानी 22/2002 निर्णय दिनांक 21.12.2022 में आपसी राजीनामें से पूर्व खातेदार के खेत खसरा नंबर 153 तादादी 48 बीघा 17 बिस्वा में आवागमन का रास्ता प्रतिवादीगण के खेत खसरा नंबर 154 में से जाने वाले रीडी से श्रीडूंगरगढ कटाणी रास्ता में से फंटकर के खेत में से उनके खेत की उतरादी सींव के पास से होकर जाता है कें संबंध [illegible] किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 250 [illegible].3800 हैक्टेयर (गै.मु. रास्ता 0.1300 हैक्टेयर) रोही खियाणीबास में [illegible] श्रीडूंगरगढ से फंटकर पश्चिमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:10 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

दिशा में इसी खसरा में से उतरी सींव सींव चलता हुआ प्रचलित रास्ता खेत खसरा नम्बर 475/390 प्रवेश करता है। उक्त सदामद से चालू प्रचलित मार्ग को अप्रार्थीगण बन्द करना चाहतें है। जिस बाबत प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 250 तादादी 14.3800 हैक्टेयर (गै.मु. रास्ता 0.1300 हैक्टेयर) रोही खियाणीबास में से कटाणी मार्ग रीड़ी से श्रीडूंगरगढ़ से फंटकर पश्चिमी दिशा में इसी खसरा में से उतरी सींव सींव चलता हुआ प्रचलित रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 475/390 प्रवेश करता है जो रास्ता 364 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा कुल 1820 वर्गमीटर (0.1820 हैक्टेयर) है अप्रार्थीगण संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 250 में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में लाल स्याही अंकन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 250 में से 1820 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में ली जायगी जिसका डी.एल.सी दर 294668 प्रति हैक्टेयर से दुगनी प्रतिकर राशि 104440/—रूपये प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 01 को दिलाया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार उक्त प्रतिकर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम निर्णय के 15 दिवस में प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 250 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का अंकन आदेशानुसार कर रिकार्ड में अमल दरामद करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:10 IST
Reason: SelfAttested